भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2723
22 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी सोसायिटयों के नाम के संबंध में आरबीआई के निर्देश

2723. श्री एम. वी. श्रेयम्स कुमार:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सहकारी सोसायटियों के नामों में 'बैंक' शब्द का प्रयोग करने और गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करने के खिलाफ आरबीआई के निर्देश के संबंध में राज्य सरकारों और सहकारी सोसायटियों की चिंताओं से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) क्या सरकार सहकारी सोसायटियों की इस चिंताओं को कि आरबीआई का निर्देश देश में सहकारी आंदोलन को कमजोर करेगी, दूर करने के लिए कदम उठाएगी?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): आरबीआई ने कुछ सहकारी समितियों के द्वारा उनके नाम में "बैंक" शब्द का उपयोग करने तथा गैर- सदस्यों/नाममात्र के सदस्यों/एसोसिएट सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करने, जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) के प्रावधानों के उल्लंघन में बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने के समान है, के संबंध में लोगों को सावधान करने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।

चेतावनी नोटिस का उद्देश्य क़ानून के उल्लंघन को रोकना है और इसे जनहित में जारी किया गया है।

******